

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1484 / 2016 / अलवर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त-प्रतिकरापवंचन, भिवाड़ी.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स राठी बार्स लिमिटेड,
एस.पी.-7, इण्डस्ट्रीयल एरिया, खुशखेड़ा, भिवाड़ी, अलवर।

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक
श्री अलकेश शर्मा
अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.


.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 23.05.2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 37 / 17 / आरवैट / 14-15 / 15-16 / अलवर में पारित किये गये आदेश दिनांक 15.12.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-प्रतिकरापवंचन, भिवाड़ी (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) तहत कर निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिये पारित किये गये आदेश दिनांक 10.03.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा निर्माण कार्य में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त प्राकृतिक गैस की खरीद पर आई.टी.सी. का क्लेम लिया गया था, परन्तु निर्मित माल का राज्य के बाहर स्टॉक ट्रांसफर किये जाने के कारण आनुपातिक रूप से आई.टी.सी. को रिवर्स नहीं किया गया था, जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रिवर्स कर दिया गया, जिसकी अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि की गई परन्तु इसे करवंचना मानते हुये अधिनियम की धारा 61 के तहत जो शास्ति आरोपित की गई थी उसे अपीलीय निर्णय में अपास्त किया गया, जिसके विरुद्ध राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।
3. उभयपक्षीय बहस सुनी गई।





लगातार.....2


4. प्रकरण के तथ्यों से विदित है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आई.टी.सी का क्रेडिट तो विधिक रूप से खातों में लिया गया था परन्तु स्टॉक ट्रांसफर करने पर उस अनुपात में एक सीमा तक आई.टी.सी का रिवर्सल नहीं किया गया था जिससे अधिक आई.टी.सी का समायोजन प्राप्त हो गया था। विभाग द्वारा व्यवहारी फर्म का सर्वेक्षण किया जाने पर यह ज्ञात हुआ कि कच्चे माल की 5% की आगत कर में से 1% राशि की आई.टी.सी. रिवर्स की जानी थी, क्योंकि उत्पादित माल में से 68% माल राज्य के बाहर ट्रांसफर किया गया था एवं ऐसे मामलों में 4 प्रतिशत तक की राशि की ही क्रेडिट अनुज्ञेय है परन्तु व्यवसायी द्वारा इसे विधिक अज्ञानता व विधिक भूल बताते हुये आई.टी.सी. रिवर्स किया जाना स्वीकार कर लिया था एवं अन्तर राशि मय ब्याज के राजकोष में जमा करवा दी थी।

प्रकरण में यह निर्विवादित है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्राकृतिक गैस की पूरी खरीद लेखा पुस्तकों में दर्ज की हुई थी तथा राज्य के बाहर स्टॉक ट्रांसफर भी विवरण पत्रों में दर्शाये हुये थे, जिससे किसी भी प्रकार का Concealment नहीं किया गया था एवं आई.टी.सी. रिवर्स नहीं करने की ~~सबल~~ विधिक भूल भी सद्भाविक प्रतीत होती है। अपीलीय अधिकारी द्वारा इस संबंध में दिये गये निर्णय में पूर्ण विवेचन करते हुये एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट ऑफ तामिलनाडू के न्यायिक दृष्टान्त (2010) 26 टैक्स अपडेट 01 के आलोक में अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अंश निम्न प्रकार हैं -

"So far as the question of penalty is concerned the items which were not included in the turnover were found incorporated in the appellant's account books where certain items which are not included in the turnover are disclosed in the dealer's own account books and the assessing authorities includes these items in the dealers turnover disallowing the exemption penalty cannot be imposed. The penalty levied stands set aside."

5. माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अतः अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

6. निर्णय सुनाया गया।


(क. प्रसाद जेन)
सदस्य



(खेमराज)
अध्यक्ष